एन.पी. झरिया

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

30 जुलाई, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी.पी. नावलेकर जे.जे.)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947- धारा 5 (1) (ई) सपठित धारा 5 (2)- लोक सेवक के पास अपने आय के ज्ञात स्रोत के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधन व सम्पत्ति है- विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलांट को दोषसिद्ध किया और तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी- उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी को यथावत रखा परंतु सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया- अपील में अभिनिर्धारित किया: विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों ने साक्ष्य का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया- उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं।

शब्द और वाक्यांश-शब्द ''भ्रष्टचार''- का अर्थ।

अभियोग पक्ष के अनुसार अपीलार्थी एक बिक्रीकर अधिकारी है

जिसके पास आय के ज्ञात स्रोत के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधन व सम्पत्ति है। वह विचारण न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(1) (ई) सपठित धारा 5 (2) में दोषसिद्ध घोषित किया गया था और तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी को यथावत रखा पंरतु सजा को घटाकर एक वर्ष किया

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1 'भ्रष्टाचार' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है और यह लगभग पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रलक्षित होता है। सीमित अर्थ में इसका अर्थ यह है कि यह किसी व्यक्ति को उसके निर्णयों और कार्यों को किसी सही एवं गलत कारणों से नहीं बल्कि मोद्रिक लाभ व अन्य स्वार्थ विचारों की संभावनाओं से प्रभावित होने की अनुमति देता है। (पैरा सं0 3) (620-एफ,जी)

2.1 उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित वेतन लगभग 24,000/- था और जिसमें से अपीलार्थी को अपने परिवार का भरण पोषण करना था। इस प्रकार बचत की बहुत कम संभावना थी और इसीलिए जांच अवधि के प्रारम्भ में धन की उपलब्धता स्थापित नहीं की जा सकी। इस निष्कर्ष में कोई अशुद्धता नहीं थी। (पैरा 15) (622-जी; 623-ए)

2.2. विचारण न्यायालय ने कृषि भूमि से अपीलार्थी की आय लगभग 10 से 15 एकड भूमि से 1,49,000 रूपये/- होने का अनुमान लगाया। उच्च न्यायालय ने सही उल्लेख किया कि विचारण न्यायालय ने बिना किसी सहायक सामग्री के संयुक्त परिवार की संपत्ति में अभियुक्त की आय को स्वीकार किये जाने में उदारता रखी है। यह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है लेकिन क्योंकि राज्य ने गणना पर कोई प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया था इसलिए किसी और राहत की संभावना नहीं थी। कुल आय 2,38,561.95 रूपये/- ली गयी थी जिस पर अपीलार्थी का कोई आक्षेप भी नहीं है। विचारण न्यायालय ने उल्लेख किया कि सबसे उदार मानकों के अनुसार भी अपीलार्थी और उसका परिवार जिसमें पांच व्यक्ति शामिल हैं, वेतन की कमाई से 50 प्रतिशत से अधिक बचत नहीं कर सकते थे और उन्होंने 44,500 रूपये/- खर्च किये होंगे। इसलिए अपीलार्थी के वेतन व कृषि आय से बचत 1,94,061 रूपये/- मानी गयी थी।

(पैरा 15)

(623-ए, बी, सी)

2.3. अपीलार्थी की पत्नी डीडब्ल्यू-1 ने साक्ष्य प्रस्तुत की कि वह बुनायी का कार्य कर रही थी। विचारण न्यायालय ने बिना किसी संपुष्टि कारक सामग्री के आय 68,000 रूपये/- तय की। उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया कि गणना उदारता स्वरूप की गयी है। तलाशी के

दौरान केवल बुनाई की एक छोटी मशीन ही मिली। डीडब्ल्यू-1 ने स्वीकार किया कि वह बुनाई के कार्य के लिए उसने किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया हुआ है, जिससे उसे प्रत्येक स्वेटर के 15 से 35 रूपये मिलते हों। क्योंकि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को अभियोजन पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गयी थी इसलिए उच्च न्यायालय ने तय की गयी राशि को स्वीकार कर लिया और माना कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी ने आय के ज्ञात स्त्रोतों से 2,62,061 रूपये/- का संतोषजनक हिसाब प्रस्तुत किया है। हालांकि यह क्लेम किया गया था कि डीडब्ल्यू-1 कृषि का कार्य करती थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिवचन अस्वीकार किया गया और इसलिए यह दावा कि उल्लेखित आय के स्त्रोत से 32,000 रूपये/- अर्जित किये जाते थे, अस्वीकार किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी के पिता की वसीयत द्वारा 80,000 रूपये/- की उपलब्धता को भी अस्वीकार योग्य पाया गया क्योंकि 'वसीयत' को प्रस्तुत नहीं किया गया था और अपीलांट के पिता के पास 80,000 रूपये/- की उपलब्धता को स्थापित नहीं किया गया था। इसी प्रकार अपीलांट की यह दलील कि उसके पास उसके पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति से 75,000 रूपये/- थे, अस्वीकार योग्य थी। याचिका को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। इसी तरह रिश्तेदारों से ऋण लेने की दलील भी उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गयी। (पैरा 15) (623-सी, डी, ई, एफ)

2.4. जहां तक आयकर विभाग जबलपुर के कार्यकारी अभियंता (मूल्यांकन) की मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) का संबंध है, मकान का मूल्य 6,91,000 रूपये/- व भूमि के मूल्य सहित 7,22,000 रूपये/- तय किये गए। इसके अतिरिक्त पांच भूखण्डों के एक घर के अधिग्रहण की लागत भी जोडी गयी थी। प्रदर्श पी-12 के अनुसार घर की स्वीकृत लागत 1,43,671 रूपये/- थी। तलाशी के समय उपलब्ध चल सपत्ति का मूल्य 1,22,283/-रूपये निर्धारित की गयी। उच्च न्यायालय ने इसकी कीमत 80,000 रूपये/- पर तय किया। इस प्रकार अचल व चल संपत्ति के कुल मूल्य 10,79,438 रूपये/- पर गणना की गयी थी। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों ने अब तक के मूल्यांकन के लिए साक्ष्यों का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है। जहां तक आय से अधिक परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और निर्धारण का संबंध है, इस अपील में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। (पैरा 16) (623-जी; 624-ए)

दाण्डिक अपील क्षेत्राधिकार: दाण्डिक अपील संख्या 1262/2001

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के दाण्डिक अपील संख्या 1825/1999 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 24.02.2021 के संबंध में।

अमित कुमार चावला और संजय आर. हेगडे अपीलार्थी के लिए

गोविन्द गोयल, सनी चौधरी और सी.डी. सिंह प्रत्यर्थी के लिए

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा पारित किया गया द्वारा

1.यह एक विचित्र संयोग है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (इसके बाद'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) हमारे देश की स्वतंत्रता के वर्ष में अधिनियमित किया गया था।

2. भ्रष्टाचार आज देश में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गतिविधि के हर क्षेत्र में यह अपनी पैठ बना चुका है। इसे पूरी तरह से व्यापक और प्रभावशाली बताया गया है।

3. भ्रष्टाचार इस तरह खतरनाक उंचाईयों और खतरनाक संभावनाओं तक पहुंच गया है। 'भ्रष्टाचार' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है और यह लगभग पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रलक्षित होता है। सीमित अर्थ में इसका अर्थ यह है कि यह किसी व्यक्ति को उसके निर्णयों और कार्यों को किसी सही एवं गलत कारणों से नहीं बल्कि मोद्रिक लाभ व अन्य स्वार्थ विचारों की संभावनाओं से प्रभावित होने की अनुमति देता है। लोभ मानव जाति की एक सामान्य कमजोरी है, और राॅबर्ट वालपोल का अवलोकन है कि हर आदमी की एक कीमत होती है, थोडा सामान्यीकृत हो सकता है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह सच्चाई से बहुत दूर

नहीं है। बर्क ने आगाह किया कि ''आमतौर पर भ्रष्ट लोगों के बीच, स्वतंत्रता लम्बे समय तक नहीं रह सकता''।

4. इस अपील में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी गयी है जिसमें अपीलार्थी को विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि दर्ज करते हुए 3 साल के कारावास की और 75,000 रूपये/- जुर्माना अदा किये जाने की सजा सुनायी थी। उच्च न्यायालय ने जुर्माना यथावत रखते हुए सजा को घटाकर वर्ष 1 साल कर दिया। सजा में संशोधन के साथ अपील खारिज कर दी गयी।

5. अभियोजन प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

अपीलार्थी को 16.09.1975 का बिक्री कर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह जांच अवधि 16.09.1975 से 31.12.1983 के दौरान उस पद पर कार्यरत रहा। उसका विवाह वर्ष 1969 में पुष्पा झारिया (डीडब्ल्यू-1) से हुआ और उसके तीन बच्चे हैं।

16.09.1975 से 31.12.1983 की अवधि के दौरान अपीलार्थी के पास 10,19,210 रूपये/- के आर्थिक संसाधन और संपत्ति थी। तदनुसार कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अन्वेषण के बाद विशेष पुलिस द्वारा (संक्षेप में 'एसपीई') ने 01.03.1990 को ''अंतिम रिपोर्ट'' प्रस्तुत की थी जिसमें अदालत को सूचित किया गया था कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई अपराध

नहीं बनता है। उस अंतिम रिपोर्ट को विशेष न्यायाधीश ने 17.04.1990 को स्वीकार कर लिया। लेकिन 01.07.1992 को एस. पी. ई. द्वारा आगे की जांच की अनुमति के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश ने आगे की जांच की अनुमति दी। इसके बाद 01.03.1995 को राज्य सरकार से अभियोजन की मंजूरी मिल गयी। 24.07.1995 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

6. अभियुक्त ने खुद को दोषमुक्त बताया तथा और कहा कि उसने न केवल अपने नाम पर, बल्कि अपनी पत्नी के नाम पर भी सभी संपत्तियों का संतोषजनक हिसाब-किताब दिया था।

7. विशेष न्यायाधीश रिकॉर्ड पर मौजूद सभी दस्तोवेजी और मौखिक साक्ष्यों पर गहन और विस्तृत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी की कुल आय 9,32,086.90 रूपये/- थी और व्यय 18,81,745.81 रूपये/- था और इस प्रकार अनुपातहीन संपत्ति का मूल्य 9,49,658 रूपये/- हुआ। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि जांच एजेंसी द्वारा एक बार अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर आगे की जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं थी। यह भी पाया गया कि अभियोजन स्वीकृति वैध एवं उचित है।

8. उच्च न्यायालय ने व्यय की विभिन्न मदो, अर्जित संपत्तियों,

स्त्रोतों व आय का उल्लेख किया। यह माना गया कि निर्धारिती ने ज्ञात स्त्रोतों से अपनी और अपनी पत्नी की आय रूपये 2,62,061 /- होना व्याख्या की। जबकि संपत्ति जो मिली उसका मूल्य 10,79,438 रूपये/- था इसलिए अनुपातहीन संपत्ति का मूल्य 8,17,377 रूपये/- था। उच्च न्यायालय ने माना कि आय की कुछ मदों के संबंध में विचारण न्यायालय उदार था लेकिन क्योंकि राज्य ने गणना पर सवाल नहीं उठाया है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए था।

9. तदनुसार विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को यथावत रखा गया और सजा में संशोधन को छोडकर अपील खारिज कर दी गयी।

10. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने गलती से माना था कि अपीलार्थी के कब्जे में पायी गयी संपत्ति का मूल्य उसकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक था। अभियोजन ने उस भार का उन्मोचन नहीं किया है जो उस पर था।

11. इसके विरूद्ध दूसरी तरफ राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि लोकायुक्त को की गयी शिकायत के आधार पर कार्यवाही शुरू की गयी थी

और इसलिए अधिनियम के तहत कार्यवाही नही की गयी थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष एक साधारण याचिका दायर की गयी थी। यह आग्रह किया गया कि एक बार अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात आगे की जांच की कोई संभावना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही का उल्लेख करने के बाद विचारण न्यायालय ने पाया था कि याचिका में कोई तथ्य नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी याचिका नहीं लगायी गयी। अपील में भी मुख्य आधार स्वीकृति में कमी और आगे की जांच की वैद्यता से संबंधित है।

13. जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(संक्षेप मे 'संहिता') की धारा 173(8) की पृष्ठभूमि में आगे के अन्वेक्षण का प्रश्न है, याचिका स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है।

14. जहां तक तथ्यात्मक स्थिति का प्रश्न है, आरोपी द्वारा बताए गए आय के विभिन्न स्त्रोतों में वेतन, उसकी पत्नी की आय और परिवार की कृषि भूमि से कुछ आय शामिल थी। यह आग्रह किया गया कि व्याख्याता के रूप में शामिल होने से पहले उसकी आय लगभग 50,000 रूपये/- थी।

15. उच्च न्यायालय ने कहा कि अर्जित वेतन लगभग 24000

रूपये/- था और क्योंकि उन्हें परिवार का भरण-पोषण करना था इसलिए किसी भी बचत की गुंजाइश नहीं थी और इसलिए जांच अवधि की शुरूआत में धन की कोई उपलब्धता स्थापित नहीं हुई थी। हमें इस निष्कर्ष में कोई कमी नहीं दिखती। विचारण न्यायालय ने कृषि भूमि से अपीलार्थी की आय लगभग 10 से 15 एकड भूमि से 1,49,000 रूपये/- होने का अनुमान लगाया था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि विचारण न्यायालय बिना किसी सहायक सामग्री के केवल दावे के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति के हिस्से में आरोपी की आय को स्वीकार करने में उदार रहा है। ऐसा ही स्वीकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन चूंकि राज्य ने गणना पर सवाल नहीं उठाया था, इसलिए किसी और राहत की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुल आय 2,38,561.95 रूपये/- मानी गयी जिस पर अपीलकर्ता द्वारा भी विवाद नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने कहा था कि सबसे उदार मानकों के अनुसार भी अपीलकर्ता और उसका परिवार, जिसमें पांच लोग शामिल हैं, वेतन की कमाई का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बचा सकते थे और 44,500 रूपये/- खर्च किए होंगे। इसलिए अपीलकर्ता की वेतन और कृषि से बचत 1,94,061 रूपये/- पर ली गई थी। सुश्री पुष्पा झारिया, डीडब्ल्यू-1 ने बयान दिया था कि वह बुनाई का काम कर रही थी। विचारण न्यायालय ने बिना किसी सहायक सामग्री के आय 68,000 रूपये/- तय कर दी। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि गणना उदार पक्ष पर थी।

तलाशी के दौरान बुनाई की एक छोटी मशीन ही मिली। डीडब्ल्यू-1 ने स्वीकार किया कि उसने बुनाई के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया था, जिससे उसे प्रति स्वेटर 15 रूपये/- से 35 रूपये/- मिलते थे। चूंकि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को अभियोजन पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने तय की गई राशि को स्वीकार कर लिया और माना कि अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने ज्ञात स्त्रोतों से 2,62,061 रूपये/- का संतोषजनक ढंग से हिसाब दिया है। हालांकि दावा किया गया था कि डीडब्ल्यू-1 भूमि पर खेती करती थी, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया गया, और इसलिए यह दावा कि उक्त स्रोत से 32,000 रूपये/- अर्जित करना अस्वीकार कर दिया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी के पिता की वसीयत द्वारा 80,000 रूपये/- की उपलब्धता को भी अस्वीकार योग्य पाया गया क्योंकि 'वसीयत' को प्रस्तुत नहीं किया गया था और अपीलांट के पिता के पास 80,000 रूपये/- की उपलब्धता को स्थापित नहीं किया गया था। इसी प्रकार अपीलांट की यह दलील कि उसके पास उसके पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति से 75,000 रूपये/- थे, अस्वीकार योग्य थी। याचिका को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। इसी तरह रिश्तेदारों से ऋण लेने की दलील भी उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गयी।

16. जहां तक आयकर विभाग जबलपुर के कार्यकारी अभियंता

(मूल्यांकन) की मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) का संबंध है, मकान का मूल्य 6,91,000 रूपये/- व भूमि के मूल्य सहित 7,22,000 रूपये/- तय किये गए। इसके अतिरिक्त पांच भूखण्डों के एक घर के अधिग्रहण की लागत भी जोडी गयी थी। प्रदर्श पी-12 के अनुसार घर की स्वीकृत लागत 1,43,671 रूपये/- थी। तलाशी के समय उपलब्ध चल सपत्ति का मूल्य 1,22,283 रूपये/- निर्धारित की गयी। उच्च न्यायालय ने इसकी कीमत 80,000 रूपये/- पर तय किया। इस प्रकार अचल व चल संपत्ति के कुल मूल्य 10,79,438 रूपये/- पर गणना की गयी थी। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों ने अब तक के मूल्यांकन के लिए साक्ष्यों का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है। जहां तक इस अपील में संपत्तियों की असंगतता के मूल्यांकन व निर्धारण की बात है, उसके संबंध में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं है।

17. अपील खारिज की जाती है।

बी.बी.बी. अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी देवेन्द्र सिंह पंवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।